28/2/22

आज की पेशी में वादी अमन कुमार
आज की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र
धारा 8 CPC [illegible] को निरस्त
कर वाद को खारिज किया जाता है। प्रतिवादी
[illegible] द्वारा वाद में शपथ
[illegible] है अतः वाद खारिज किया जाता है।
वाद खारिज होने प्रार्थना पत्र का निपटारा
कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना
[illegible] खारिज किया जाता है
आज की कार्यवाही का ध्यान पक्षकारों
द्वारा ध्यान दिलाया गया है।
दिनांक आज दिनांक 28/02/22 को मेरे
द्वारा लिखाया गया

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जगाधरी शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:06 IST
Reason: SelfAttested